रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 13.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 35] शिमला, शनिवार, 19 दिसम्बर, 1987/28 अग्रहायण, 1909 [संख्या 51

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1118—1120
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	—
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	1120 1121
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	1121—1131
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

19 दिसम्बर, 1987/28 अग्रहायण, 1909 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई:—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
No. 34-27/77-GS-II, dated 15th December, 1987.	Governor's Secretariat	Notifying the assuming of additional charge of the office of the Governor, Himachal Pradesh by the Governor of Haryana.
संख्या एस0 ए0 1(1)/86, दिनांक 23 अक्तूबर, 1987.	कृषि विभाग	जिला शिमला के भू-संरक्षण उप-मण्डल (I) शिमला और (II) रामपुर और जिला सोलन के भू-संरक्षण उप-मण्डल (I) अर्की और (II) नालागढ़ की क्षेत्रीय अधिकारिता।
संख्या खाद्य-के0 स0 ए0-(ई) 12-1/82-III-5795-5846, दिनांक 27 नवम्बर, 1987.	कार्यालय जिला खाद्याधिकारी, किन्नौर, जिला कल्पा	पूर्ण जिला किन्नौर में कतिपय खाद्य वस्तुओं का समस्त करों सहित अधिकतम परचून मूल्य का निर्धारण।

भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय

NOTIFICATION

Shimla-1, the 27th July, 1987

No. HHC/Admn. 6(23) 74-II.—Consequent upon the grant of 14 days earned leave *w.e.f.* 25-7-1987 to 7-8-1987 with permission to prefix Special Casual Leave *w.e.f.* 2-7-1987 to 24-7-1987 and suffix Second Saturday and Sunday falling on 8th and 9th August, 1987, in favour of Shri M. R. Verma, District and Sessions Judge, Mandi, the Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of the Himachal Pradesh Financial Rules, 1971, Vol. I, is pleased to declare the Additional District and Sessions Judge, Mandi as Drawing and Disbursing Officer, of the Court of District and Sessions Judge, Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T. A. etc. in respect of Class-III and IV establishment of the aforesaid court under Head "2014—Administration of Justice" during the leave period of Shri Verma, District and Sessions Judge, Mandi or until Shri Verma returns from leave.

By order,
Sd/-
Deputy Registrar (Admn.).

हिमाचल प्रदेश सरकार

GOVERNOR'S SECRETARIAT, HIMACHAL PRADESH

(RAJ BHAWAN, SHIMLA)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th December, 1987

No. 3-59/76-GS.—Shri D. N. Sud, officiating Under Secretary in the Governor's Secretariat is hereby confirmed as Private Secretary to Governor (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 825-25-850/30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 plus special pay of Rs. 150/- P.M. with effect from 1st July, 1986.

Sd/-
Secretary.

PERSONNEL (APPOINTMENT-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th December, 1987

No. Per (A-I) B (15)-2/79-II.—In exercise of the powers conferred by rule 27 of the H.P. Administrative Service Rules, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following substantive members of HPAS to the selection grade of the service (Rs. 2000-100-2400) with effect from the date mentioned against their names, in relaxation of the provision of minimum 12 years service provided in rule 23(4) (*b*) of HPAS Rules, 1973:—

Sl. No.	*Name & posting*	*Date*
1.	Shri J. R. Verma, H.A.S., Under Secretary (Fin.) H. P. Govt.	16-11-1987
2.	Shri Bharat Bhushan, HAS, Addl. District Magistrate, Sirmaur, Nahan.	16-11-1987

2. The above appointments are against vacancies arising due to deputation of H.P.A.S. officers. As and when these vacancies cease to exist the concerned officer shall be reverted.

3. The Governor is further pleased to order that Shri J. R. Verma, HPAS, Under Secretary (Finance) H. P. Govt. shall hence forth function as Deputy Secretary (Finance) to the Goverment of Himachal Pradesh.

By order,
B. C. NEGI,
Chief Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 30 नवम्बर, 1987

संख्या सिंचाई-11-24/87.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव बनादर, सब-तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरण

जिला मण्डी सब-तहसील: लड भड़ोल

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बी०	बि०	बिस्वांo
1	2	3	4	5
बनादर/102	2716	0	2	0
	2717	0	0	16
	2719/1	0	1	7
	2711/1	0	0	12
	2958/1/1	0	6	1
	2718/1	0	0	10
	2714/1	0	0	12
	2713	0	0	8
किता ..	8	0	12	0

शिमला-2, 30 नवम्बर, 1987

संख्या लो० नि० (सिंचाई) 11-11/86-मण्डी.—चूंकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव गोठा गलन, तहसील सदर, जिला मण्डी में बल्ह वैली परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, ब्यास सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का खाका भू-अर्जन समाहर्ता, व्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0	बिस्वां
1	2	3	4	5
गोड़ा गगल/ 214.	622/2	0	4	0
	629/2	0	1	8
	631/3	0	3	0
	626/1/2	0	2	12
	626/3/1	0	3	10
	626/2/1	0	2	12
	633/2	0	4	16
	634/2	0	2	14
	640/1	0	0	8
	642/2	0	4	12
	797/768/733/2	0	5	12
	836/733/1	0	4	2
	836/733/4	0	4	6
	500/2	0	2	11
	501/2	0	1	11
	492/2/1	0	3	0
	790/750/361/2/1	0	4	12
	790/750/361/3/1	0	5	2
	498//2/1	0	1	6
	498/3/1	0	4	4
	496/2/1	0	3	0
	499/2/1	0	1	16
	560/2/1	0	1	0
	788/750/361/1	0	0	5
	495/3/1	0	1	8
	495/3/2	0	7	8
	791/750/361/1	0	3	4
	620/2/1	0	1	0
	620/3/1	0	5	6
	566/2	0	3	2
	621/3	0	1	12
	627/2	0	0	12
	596/1	0	0	14
	504/3/1	0	3	0
	504/3/2	0	6	8
	564/2/1	0	2	8
	564/3/1	0	2	6
	564/4	0	1	0
	564/5/1	0	2	0
	577/1	0	0	16
	586/2	0	1	10
	588/2/1	0	1	6
	588/3/1	0	3	0
	589/2/1	0	2	12
	589/3/1	0	2	12
	590/2	0	3	4
	766/733/2/1	0	1	16
	766/733/3/1	0	1	12
	657/1/2	0	0	12
	798/768/733/2	0	5	12
	799/768/733/2	0	1	10
	502/3/1	0	2	18
	502/2/1	0	2	16
	503/2/1	0	1	12
	507/2/1	0	2	14
	497/1	0	1	4
	565/1	0	0	16
किता ..	57	7	11	11

आदेश द्वारा,
अ0 कु0 महोपात्र,
सचिव।

LABOUR DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171002, *the 2nd December*, 1987

No. 15-16/86-Shram-I.—Whereas Kamla Dials and Devices Workers Union raised demand for one month salary/wages as Deepawali gift on the eve of Diwali;

Whereas the aforesaid Management offered to its workmen on the eve of Deepawali Rs. 135 each (Rs. 35 for sweets, Rs. 75 as advance for production incentive and Rs. 25 as advance towards LTC);

Whereas the union leader refused to accept the amount and on account of this the workers went on strike for one hour from 3 P.M. to 4. P.M. on 21-10-87 dropped the issue of Deepawali gift and stopped cleaning the floor and stopped working for 10 minutes work in lieu of 10 minutes tea break *w.e.f.* 24-10-1987;

And whereas the Management did not allow the workers to enter the factory without signing and undertaking that they will do the work in the factory as they were previously doing;

Whereas because of the above dispute the workers have remained outside the factory in strike from 4-11-1987;

Whereas the conciliation meeting was held by the Conciliation Officer, South Zone, Solan on 21-11-87 and 24-11-1987 but both the parties were adament on their stands;

Whereas the Conciliation Officer has recommended that this dispute should be referred to the Labour Court for adjudication;

Whereas on the recommendation of the Conciliation Officer the dispute matter has been referred to the Labour Court for adjudication by the Government.

Now, therefore, the Government in accordance with the powers conferred by section 10 (3) of the Industrial Disputes Act, 1947 hereby prohibit the continuance for the existing strike by the workmen of the Kamla Dials with immediate effect.

By order,
Sd/-
Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 नवम्बर, 1987

संख्या लो0 नि0 (ख) (1)-45/87.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: थनाड़ी व नगांव तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में लिंक मार्ग के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग शिमला-171002, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

[Authoritative English text of this Government notification No. Lok. Nirman (Kha) 7(1)45/87, dated 20.11.87 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th November, 1987

No. PBW (B&R) (B)7(1)45/87.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government of Himachal Pradesh at the public expense for a public purpose, namely for construction of Deem Link road in Village Thanari and Jagoon, Tehsil Kotkhai, District Shimla, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose.

2. The declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Collector, (I) Land Acquisition, Shimla-2, H. P. P. W. D. is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, H. P. P.W.D, Shimla-2.

विवरणी

SPECIFICATION

जिला : शिमला तहसील : कोटखाई

District: SHIMLA *Tehsil:* KOTKHAI

गांव Village	खसरा नं० Khasra No.	क्षेत्र Area बी० Big.	बि० Bis.
1	2	3	4
थानाड़ी THANARI	416/1	0	5
	404/1	0	16
	405/1	0	5
	399/1	0	4
	400/1	0	3
	397/1	0	4
	398/1	0	7
	401/1	0	16
	371/1	0	1
	371/2	0	5
	371/3	0	4
	370	2	17
	369/1	0	4
	367/1	1	2
	350/1	0	13
	349/1	0	12
	267/1	1	13
	267/2	1	0
	448/267/1	1	11
Total kitta ..	19	13	2
नागन NAGAN	89/1	0	8
	88/1	1	15
	90/1	0	6
	43/1/1	0	13
	32/1	0	14
	28/1	0	10
	29/1	0	6
	30/1	0	8
	31/1	0	5
Total Kitta ..	9	5	2

By order,

Sd/-

Secretary.

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

शून्य

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-1, the 24th July, 1987

No. HHC/13-2/8/81.—The Hon'ble the Chief Justice is pleased to make the following amendments in the "High Court of Himachal Pradesh (Use, Maintenance and Control of Staff Cars) Rules, 1981":—

Short title. These Rules shall be called the "High Court of Himachal Pradesh (Use, Maintenance and Control of Staff Cars) (Fifth Amendment) Rules, 1987."

Commencement.—They shall come into force with effect from the 1st August, 1987.

Amendments:—

1. The words "other than the Judges' Staff Cars" shall be added after the words "High Court Staff Cars" and before the punctuation (.) in the heading of the Rules.

2. The following shall be added as clause (*h*) to Rule 2:

   "Judges' Staff Cars" mean the cars earmarked and assigned to the Hon'ble Judges of the High Court in virtue of section 22-B of the High Court Judges (Conditions of Service) Act.

3. The words "the Chief Justice, Judges and" appearing in Rule 7 shall be deleted.

4. The present Rule 7 shall renumbered as Rule 7-A and the following shall be added as Rule 7:

   "EARMARKING OF VEHICLES :

   The Chief Justice may in his discretion earmark the vehicles for such uses and by such persons as he may deem fit, the vehicles so earmarked shall also be governed by these rules in the same manner as the remaining vehicles, if any, in the General Pool, unless otherwise specifically provided."

5. The words "the Chief Justice, Judges or" appearing in clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of Rule 8 shall be deleted.

6. The words "the Chief Justice or a Judge or" appearing in clause (*d*) of Rule 8 shall be deleted.

7. Clauses (*e*), (*e-1*), (*i*) and (*j*) of Rule 8 shall be deleted.

8. The words "general and" shall be added between the words "the " and "special" in clause (*k*) of Rule 8.

9. The words "the Chief Justice, Judges and" appearing in Rule 9 shall be deleted.

10. The words "except in case of Registrar and Registrar (Vigilance) if staff cars are earmarked for them for their own use" shall be added between the words "*vice Versa*" and punctuation ";" in clause (*a*) of Rule 9.

11. The words "Judges" appearing in the proviso to the Explanation below Rule 9 shall be deleted and substituted by the words "Registrar and/or Registrar (Vigilance)" and the figure "20" shall be substituted by the figure "8".

12. The following shall be added as Rule 9-B after Rule 9-A:

"Without prejudice to the official requirements, the vehicle in the general pool, if available, may be used by the Chief Justice and Judges for non duty purposes on payment of charges as prescribed under Rule 11 below.

13. The present Rule 11 shall be deleted and substituted by the following:—

"Use of vehicles for non-duty journeys shall be charged at the rate of Rs. 1.25 paise per kilometre or such rate as may be prescribed by the State Government from time to time. Charges would be recoverable for the distance covered by the vehicle from the time it leaves the official garage till its return to that place. The amount of such charges shall be credited to the Miscellaneous Receipts of the Department under the Head '214—Administration of Justice':

Provided that the Registrar and/or Registrar (Vigilance) may pay a minimum of Rs. 100/- per month or such amount per mensem as may be prescribed by the State Government from time to time in respect of journeys performed by him for private purposes within a specified limit of 150 kilometres per month. In order to remove doubts it is clarified that Rs. 100/- per month or such sum per mensem as may be prescribed by the State Government from time to time will be realised when the option for the use of vehicle in the aforesaid manner is exercised irrespective of the distance of 150 kilometres covered per month:

Provided further that if the total mileage for private purposes exceeds the above limit of 150 kilometres per month, the officer will be required to pay Rs. 1.25 paise per kilometre or at such rate as may be prescribed by the State Government from time to time, for the journeys beyond 150 kilometres."

14. The words "Chief Justice and Judges" appearing in the proviso to Rule 14 shall be deleted and substituted by the words "the Registrar (Vigilance)".

15. The words "and in the event of the use of vehicle in such cases by the controlling officer, the entries shall be countersigned by the Chief Justice" appearing after the words "controlling officer" in the proviso to Rule 19 shall be deleted.

By order of the Hon'ble Chief Justice.

R. L. KHURANA, *Registrar.*

भाग 4—स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P.C.

In the Court of Shri D. S. Khenal, Sub-Judge 1st Class, Rajgarh, Camp at Sarahan, Tehsil Pachhad, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In case No. 27/1/87

Titled:

Shankri Devi wd/o Sh. Jhagdu, r/o Shilore Rangari, Tehsil Pachhad at present living c/o Smt. Krishna Devi w/o Sh. Jai Kishore, r/o Chatani, Tehsil Pachhad . . *Plaintiff.*

Versus

1. Roshan Lal *alias* Narain Dutt s/o Jhagdu, r/o Rangari, Tehsil Pachhad, 2. Smt. Kanta Devi w/o Krishan Dutt, r/o Rangari Tehsil, Pachhad . . *Defendants.*

To

Smt. Kanta Devi w/o Krishan Dutt, r/o Rangari, Tehsil Pachhad, District Sirmaur, H. P.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendant Smt. Kanta Devi cannot be served through ordinary course of service since summons issued to her received back unserved. Hence, the proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against her to appear in this court on or before 23-12-1987 at Sarahan personally or through an advocate or authorised agent to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings shall be taken against her.

Given under my hand and seal of this court this 24th November, 1987.

Seal.

D. S. KHENAL,
Sub-Judge 1st Class,
Rajgarh, District Sirmaur, H. P.

मुनादी इश्तहार

ब अदालत श्री राम स्वरूप गुप्ता, कुलेक्टर, पांवटा साहिब, उप-तहसील, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 39/10

तारीख दायरा 12-8-87

मोती चन्द पुत्र श्री साध सिंह, निवासी ग्राम मानपुर, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती उषा दिवान पत्नी श्री दिवान चन्द्र माही, निवासी कालका जी, ई/85, राजपथ नगर न्यू देहली . . प्रतिवादी।

नोटिस बनाम :

1. श्रीमती उषा दिवान पत्नी श्री दिवान चन्द्र माही, निवासी कालका जी, ई/85, राजपथ नगर न्यू देहली।

प्रार्थना विभाजन, हुक्म सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांवटा साहिब, दिनांक 2-7-87।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी श्रीमती उषा दिवान को दिए गए सम्मन पर कई बार सम्मन जारी किए गए, परन्तु प्रतिवादी श्रीमती उषा दिवान पर सम्मन की तामील नहीं हो सकी जिससे अदालत को पूर्ण यकीन हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादी पर साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती। अतः प्रतिवादी श्रीमती उषा दिवान को बजरिया इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी०पी०सी० द्वारा सूचित किया जाता है कि आप तारीख पेशी 28-12-87 को वक्त सुबह 10 बजे स्वयं असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आवें। वरना हाजरी की सूरत में आपके विरुद्ध कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राम स्वरूप गुप्ता,
कुलैक्टर,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री राम स्वरूप गुप्ता, कुलैक्टर, पांवटा साहिब सब-डिवीजन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 43/10

तारीख दायरा 15-9-87

धमारा पुत्र श्री उत्तम, निवासी ग्राम मनानो, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..अपीलांट।

बनाम

श्रीमती परमेश्वरी पुत्री श्री उत्तम पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी ग्राम मेहकवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश आदि (9कस) ..प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम:

1 श्री भज्जा पुत्र श्री पोहलो, निवासी ग्राम सिंधपुरा, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

अपील खिलाफ हुक्म सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, दिनांक 10-8-1987

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी नं० 1 श्री भज्जा को दिए गए पते पर कई बार समन जारी किए गए परन्तु प्रतिवादी श्री भज्जा पर समन की तामील नहीं हो सकी जिससे अदालत को पूर्ण यकीन हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादी पर साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती। अतः प्रतिवादी श्री भज्जा को बजरिया इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी०पी०सी० द्वारा सूचित किया जाता है कि आप तारीख पेशी 28-12-87 को बवक्त 10 बजे दिन असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आवें। अदम हाजरी की सूरत में आपके विरुद्ध कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राम स्वरूप गुप्ता,
कुलैक्टर,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि० प्र०।

इश्तहार

(जेर आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी)

ब अदालत श्री जे० सी० चौहान, आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मालती देवी विधवा स्वर्गीय श्यामानन्द, ग्राम वासी बसाड़ा, तहसील रामपुर, जिला शिमला ..प्रार्थी।

बनाम

श्री सुरजीत सिंह बतरा, सब्जी मण्डी, अम्बाला कैंट (हरियाणा) ..प्रतिवादी।

दावा क्षतिपूर्ति

उपरोक्त प्रतिवेदन में अदालत को विश्वास हो गया है कि प्रतिवादी पर नोटिस की तामील मामूली तरीके से होनी कठिन है। अतः इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी जारी हो कर आपको सूचित किया जाता है कि आप असालतन या वकालतन मिति 30-12-87 को समय 10 बजे सुबह अदालत हूजा में बगर्ज जवाब दही व पैरवी मुकदमा हाजिर हो जावें वरना आपके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27 नवम्बर, 1987 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जे० सी० चौहान,
आयुक्त,
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,
रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बअदालत उप-रजिस्ट्रार, ज्वाली

विषय:—रजिस्ट्रेशन आफ वसीयत श्री धर्मी चन्द (मृतक) पुत्र धर्म सिंह, मकना वाड़ जटोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा।

जेर धारा 40/41 रजिस्ट्रेशन ऐक्ट

1. श्री भूरो सिंह, 2. दरयोधन सिंह, 3. श्री करीन्दर सिंह पुत्रान श्री धर्मी चन्द, मकना वाड़ जटोट, तहसील ज्वाली।

बनाम

जनरल पब्लिक

हर खास व आम को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 30-12-1987 सुबह 10 बजे अदालत उप-रजिस्ट्रार ज्वाली असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर उपरोक्त वसीयत के पंजीकृत के बारे में अपना उजर दाखल व पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दी गई तिथि पर कोई उजरदार असालतन या वकालतन उपस्थित न हुआ तो वसीयत बहक श्री भूरो सिंह, श्री दरयोधन सिंह, श्री करीन्दर सिंह पुत्रान धर्मी चन्द जेर धारा 40/41 रजिस्ट्रेशन ऐक्ट पंजीकृत कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-11-87 को जारी हुआ।

मोहर।

योग राज,
उप-रजिस्ट्रार, ज्वाली (कांगड़ा)।

ब अदालत जनाब बलदेव दास शर्मा, सब-रजिस्ट्रार-कम-नायब-तहसीलदार कांगड़ा

मुकद्दमा नम्बर आफ 1987

श्री सुखदेव सिंह सुपुत्र मंगत सिंह, वासी समीरपुर ..प्रार्थी।
सर्व जनता बनाम ..प्रत्यार्थी।

दरख्वास्त:—बाबत रजिस्टर करवाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 हेतु।

मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवानबाला में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि श्री सुखदेव सिंह उपरोक्त ने मिति 27-10-87 को इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है कि श्री धनी पुत्र बेला, वासी समीरपुर ने एक वसीयतनामा बहक प्रार्थी के नाम की जावे जिस की तारीख पेशी 28-12-87 को इस अदालत में रखी गई है यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बजे आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर काबले समायत न होगा अन्यथा गैर हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जावेगी।

आज बतारीख 31-10-1987 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मोहर।

बलदेव दास शर्मा,
सब-रजिस्ट्रार-कम-नायब-तहसीलदार,
कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दिवानी

ब अदालत श्री सुरेश कुमार भारद्वाज, नायब-तहसीलदार तथा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सर्कल कोटीघाट, तहसील ननखरी, जिला शिमला

विषय:—तस्दीक इन्तकाल नम्बर 1125, मौजा जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला।

बर्वक्त तस्दीक इन्तकाल महाल जाहू मालूम हुआ कि नन्दी पुत्र जेहरू पुत्र ठाकु, निवासी जा..., अरसा लगभग 30-35 वर्ष से लापता है। उसके बाद आज तक किसी नजदीकी रिश्तेदार को कोई पत्र व पता प्राप्त नहीं हुआ और मालिक उपरोक्त की औरत, बच्चे, माता व पिता जीवित नहीं, तहकीकात पर यह बात भी नोटिस में आई है कि मालिक उपरोक्त जब घर से गया है उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की थी इस लिहाज से उसकी आयु 75 वर्ष बनती है। क्यास किया जाता है कि मालिक उपरोक्त अब इस दुनिया में जीवित नहीं है।

अतः बजरिया इश्तहार तमाम सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस सम्बन्ध में कहना या कोई एतराज हो तो मिति 31-12-87 या इससे पूर्व किसी काम वाले दिन असालतन या वकालतन अपने एतराजात पेश करें। बसूरत दीगर बाद गुजरने म्याद कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जा कर इन्तकाल नम्बर 1125 का विधिवत निपटारा किया जायेगा।

आज मिति 26-11-1987 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सर्कल कोटीघाट, तहसील ननखरी, जिला शिमला।

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी

ब अदालत श्री सुरेश कुमार भारद्वाज, नायब-तहसीलदार तथा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सर्कल कोटीघाट, तहसील ननखरी, जिला शिमला

विषय:—तस्दीक इन्तकाल नम्बर 1124, मौजा जाहू, तहसील ननखरी, जिला शिमला

बर्वक्त तस्दीक इन्तकाल महाल जाहू मालूम हुआ कि मिकन् पुत्र जेहरू पुत्र ठाकु, निवासी जाहू, अर्सा लगभग 30,35 वर्ष से लापता है उसके बाद आज तक किसी रिश्तेदार को कोई पत्र व पता प्राप्त नहीं हुआ। मालिक उपरोक्त जब घर से गया तो उसकी आयु 30 वर्ष थी इस लिहाज से अब उसकी आयु 65 वर्ष बनती है। क्यास किया जाता है कि मालिक उपरोक्त अब इस दुनिया में जीवित नहीं है।

अतः बजरिया इश्तहार हजा तमाम सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस सम्बन्ध में कहना है या कोई एतराज हो तो मिति 31-12-1987 या इससे पूर्व किसी काम वाले दिन असालतन या वकालतन अपने एतराजात पेश करें। बसूरत दीगर बाद गुजरने म्याद कार्रवाई जाब्ता अमल में लाई जाकर इन्तकाल नम्बर 1124 का विधिवत निपटारा किया जायगा।

आज मिति 26-11-87 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

सुरेश कुमार भारद्वाज,
मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सर्कल कोटीघाट, तहसील ननखरी, जिला शिमला।

श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नूरपुर, (नायब-तहसीलदार नूरपुर)

मुकद्दमा नम्बर 454/85/तह0
89/एन0 टी0 तह0

विषय:—दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 15, खतौनी नम्बर 40, 41, 43 खसरा नम्बर 443, 444, 457, 458, 454, 445, किता 6 रकबा 0-32-79 है0 मी0 वाक्या टीका व मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर।

1 श्री गगन सिंह, 2 श्री बाबू राम, 3 श्री अगत राम सुपुत्र श्री जिन्दित सिंह पुत्र रण सिंह, निवासी टीका व मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ... सायल।

बनाम

श्री छजू राम वगैरा ... मसूलअलैहम।

नोटिस बनाम:

1. श्री अमरो पुत्र मंगलू, निवासी टीका व मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ... मसूलअलैहम।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किए जाने पर भी उपरोक्त व्यक्ति हाजर नहीं आया है और तामील भी नहीं हो रही है। इसलिए बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहता हो तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 30-12-87 को अदालत हजा में असालतन व वकालतन हाजर होकर उजर कर सकते हैं। अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

भगवान दास, वालिया,
मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर।

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर (नायब-तहसीलदार नूरपुर)

मुकद्दमा नम्बर 451/तह0 85
81/एन0 टी0/85

विषय:—दरख्वास्त अराजी तकसीम खाता नम्बर 12, खतौनी नम्बर 30, 31, 32, 33 खसरा नम्बर 105, 106, 121, 122, 125, 152, 154, 201, 215, 217, 613, 614, 621, 642, 643, 785, 787, 200, 102, 126, 216 किता 21 रकबा 6-73-09 है0 मी0 वाक्या टीका हगवाल, मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा।

1. गगन सिंह, 2. बाबू राम, 3 अगत सिंह पुत्र श्री जिन्दित सिंह पुत्रगण श्री रण सिंह ... सायल।

बनाम

कंवर सिंह वगैरा ... मसूलअलैहम।

नोटिस बनाम:—

1. अनोख सिंह पुत्र गगन सिंह, निवासी टीका व मौजा हगवाल, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किये जाने पर भी उपरोक्त व्यक्ति हाजर नहीं आया है और तामील नहीं हो रही है। इसलिये बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहता हो तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 30-12-1987 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर हो कर उजर कर सकता है। अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-11-1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर

भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नूरपुर।

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नूरपुर (नायब तहसीलदार नूरपुर)

मुकद्दमा नम्बर: 452/ तह085/88/एन0 टी0/85

विषय ——दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 13, खतौनी नम्बर 34, 35, 36, 37 खसरा 638, 639, 640, 641, 636, 637, 633, 635 किता 9 रकबा 0-22-19 है0 मी0 वाक्या टीका हगवाल, मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर ।

1. गगन सिह, 2. बाबू राम, 3. अंगत सिह सुपुत्रान श्री शिव सिह, निवासी टीका हगवाल, मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर . .सायल।

बनाम

श्री कंवर सिह वगैरा . .मसूलयम ।

नोटिस बनाम :

1. ओंकार सिह पुत्र गोबिन्द सिह, 2. साधु, 3. सालीराम, 4. धर्मू, 5. चूनी सिमरान कमैला, निवासी टीका व मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर ।

उपरोक्त मुकदमा बाला में उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किये जाने पर भी उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई हाजर नहीं हुआ है। इसलिये बजरिया इस्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहते हैं वे इस सम्बन्ध में दिनांक 30-12-1987 को अदालत हजा में हाजर होवें अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 12-11-1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया ।

मोहर ।

भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नूरपुर ।

श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नूरपुर (नायब तहसीलदार)

मुकद्दमा नम्बर: 455/तह0 85
86/एन0 टी0 85

विषय:——दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 50 खतौनी नम्बर 151 ता 158, खसरा नम्बर 424, 427, 432, 433, 435, 420, 426, 428, 436, 421, 422, 425, 434, 418, 419 किता 15 रकबा 0-83-75 है0 मी0 वाक्या टीका हगवाल, मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ।

1. गगन सिह, 2. बाबू राम, 3. अंगन सिह सुपुत्रान श्री शिवदित्त सिह पुत्र रत्न सिह, निवासी हगवाल, मौजा हगवाल तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा . .सायलान।

बनाम

श्री छज्जू राम वगैरा . .मसूलयम ।

नोटिस बनाम :

1. पम्मी, 2. गुड्डी पुत्रीयां श्रीमती तारो देवी बनी नबालगान पत्नी ज्ञान चन्द, निवासी टीका मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर, 3. जीवन लाल धम पुत्र श्री रामचन्द, निवासी टीका व मौजा हगवाल, तहसील नूरपुर ।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किये जाने पर भी उपरोक्त व्यक्तियों में कोई हाजर नहीं आया है और तामील नहीं हो रही है । इसलिये बजरिया इस्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर उजर/कार्यवाही करना चाहते हों तो वे इस सम्बन्ध में दिन 30-12-87 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर होकर उजर कर सकते हैं । अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 12-11-1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया ।

मोहर ।

भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नूरपुर ।

In the Court of Sh. Vijay Chandan, Assistant Collector 2nd Grade, Suni, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Case No. 14-XIII-A/87 Date of institution 23-7-87

Shri Bal Krishan s/o Smt. Ghanshu wd/o Shri Daulat Ram, resident of village Sarail, Pargana Chauth, Tehsil Suni, District Shimla .. *Applicant.*

Versus

Smt. Bhagwati wd/o Shri Krishan Dutt s/o Shri Devu, r/o village Sarail, Pargana Chauth, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh .. *Respondent.*

Application for redemption of mortgage, Khasra Nos. 459/115, 154, 154/1 and 222, Kitta 4 measuring 3-2 Bighas situated in Mauza Sarail, Pargana Chauth, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas in the above mentioned case the applicant has moved an application for redemption of mortgage. As per the report of process service agency, the respondent No. 1 is reported to be deceased. Whereas the court is satisfied that the successors-in-interest of the right holder cannot be ascertained in the ordinary course of service.

Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued to general public, kith and kin of the responuent No. 1 to file their objections if any, before this court on or before 15-1-1988 at 10 A.M. either personally or through an authorised agent or pleader failing which they shall be proceeded *ex parte* and redemption of mortgage shall be attested in favour of the applicant.

Given under my hand and seal of the court on this day, 23rd November, 1987.

Seal.

VIJAY CHANDAN,
Assistant Collector 2nd Grade, Suni,
Tehsil Suni, District Shimla, H.P.

ब अदालत श्री पी0 सी0 कटोच, उप-पंजीकाध्यक्ष, तहसील सदर मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

सर्वश्री हरीश कुमार, (2) हितेश कुमार, सुपुत्रान यदोपती टण्डन, (3) अतुल कुमार पुत्र हरीश कुमार (नाबालिग) मार्फत उसके पिता हरीश कुमार, निवासीगण घर नं0 147/8 दरम्याना मुहला मण्डी नगर, तहसील सदर मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी

बनाम

1. आम जनता ।
2. मु0 पार्वती पत्नी श्री यदोपती टण्डन ।

(3) नरेश सुपुत्र स्व0 श्री यदोपती टण्डन, (4) जयन्त कुमार, सुपुत्र स्व0 श्री यदोपती टण्डन, (दोनों नाबालिग) मार्फत उनकी माता मु0 पार्वती निवासीगण ऊना तहसील तथा जिला ऊना तहसील सदर मण्डी, हिमाचल प्रदेश । . .प्रत्यार्थीगण ।

दरख्वास्त जेर धारा 40 तथा 41 हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम

उपरोक्त विषय पर सर्वसाधारण जनता तथा फरीक दोयम 2 ता 4 को बजरिया इस्तहार हिमाचल प्रदेश राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि फरीकैन अव्वल ने इस कार्यालय में 6-10-87 को एक वसीयतनामा दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र गुजारा है । वसीयत कर्ता स्वर्गवास हो चुका है अतः जिस किसी को इस वसीयतनामा के दर्ज होने में कोई उजर या एतराज हो तो वे अपने एतराज आगामी तारीख पेशी 2-1-88 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो कर पेश कर वरना गैर हाजिरी में हस्ब कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

मोहर ।

पी0 सी0 कटोच,
उप-पंजीकाध्यक्ष,
तहसील सदर मण्डी ।

In the Court of Additional District Judge, Solan and Sirmaur districts at Nahan, Himachal Pradesh

No. 17-N/6 of 1986

1. Sh. Madan Singh and nine others, all residents of Village Karan Paryag, Sigarwati, District Chamoli, U.P. at present residing at the Mall, Solan, Himachal Pradesh ..*Applicants.*

Versus

1. Sh. Yash Pal Singh, Driver of Truck No. HPS 5463, c/o M/s. The Spiti Co-operative Consumer Stores Ltd., Kaza, District Lahaul-Spiti, Himachal Pradesh.
2. M/s. The Spiti Co-operative Consumer Stores Ltd., Kaza, District Lahaul-Spiti, Himachal Pradesh
3. Insurance Company ..*Respondents.*

APPLICATION FOR RESTORATION OF CLAIM PETITION DISMISSED IN DEFAULT ON 15-5-86

To

Shri Yash Pal Singh Driver of Truck No. HPS. 5463 c/o M/s. The Sapiti Co-operative Consumer Stores Ltd., Kaza, District Lahaul-Spiti, Himachal Pradesh.

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that the respondent No. 1 Sh. Yash Pal Singh cannot be served in ordinary way of service, hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against him that he should appear personally or through some authorised agent or pleader, before this Court on 30-12-1987 at 10 A.M. at Nahan failing which application shall be heard and decided *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court this 2nd day of December, 1987.

Seal.

R. L. SHARMA,
Additional District Judge,
Solan and Sirmaur Districts at Nahan.

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession Application No. 33 of 1987

Date of Hearing : 30-12-1987

Ishwar Dass son of Shri Thakar Dass, r/o Village Labh, P. O. Jawali, Tehsil Jawali, District Kangra ..*Petitioner.*

Versus

1. Smt. Durgi Devi d/o Thakar Dass at present w/o Shri Churamani, Village Khabal, Tehsil Dehra, District Kangra, 2. Smt. Giani Devi d/o Thakar Dass at present w/o Sh. Bali Ram, r/o Village Kehrian, P.O. Jawali, Tehsil Jawali, District Kangra, 3. Smt. Bimla Devi d/o Thakar Dass at present w/o Sh. Muni Lal, r/o Village Maira, Tehsil Nurpur, District Kangra, 4. The general public ..*Respondents.*

To

The general public.

Whereas in the above-noted case, the above-named petitioner has filed an application in this court under section 276 of Indian Succession Act for the grant of probate in respect of the assets of Late Sh. Thakar Dass s/o Sh. Sobha Ram, r/o Village Labh, P. O. Kehrian, Tehsil Jawali, District Kangra who died on 28-2-1985 at Village Kehrian.

Hence this proclamation is hereby issued to the above-named respondent of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection, if any, to the grant of such probate in this court on 30-12-1987 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court on this 1st day of December, 1987.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
Senior Sub-Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Smt. Kiran Agarwal, Senior Sub-Judge, Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :—

Succession case No. 41 of 1987

Mohinder Kumar s/o Late Sh. Gita Nand, r/o Handa House, Mohalla Bhagwan, Mandi town, District Mandi, Himachal Pradesh ..*Applicant.*

Versus

General public ..*Respondent.*

Application u/s 10 of the Guardian & Wards Act for appointing the guardian of Miss Nitu Nayar *alias* Dimple and Miss Sarika Nayar *alias* Rimple.

To

The general public.

Whereas in the above-noted case, petitioner Mohinder Kumar has filed an application in this court for appointment of Guardian of minors Miss Nitu Nayar *alias* Dimple and Miss Sarika Nayar *alias* Rimple.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public of Ilauqua, kith and kins of minors to file objection if any to the grant of appointment of Mohinder Kumar s/o Late ShriGita Nand, r/o Handa House, Mandi town as guardian of minors on or before 30-12-1987 at 10.00 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court this 30th day of November, 1987.

Seal.

KIRAN AGARWAL,
Senior Sub-Judge,
Mandi, H. P.

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री राम स्वरूप गुप्ता, कु लैक्टर, पावटा साहिब सब-डिविजन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 9/10
तारीख दायरा 25-3-87

गोन्दा पुत्र श्री बेली राम, निवासी ग्राम भगानी, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती मालती बेवा श्री इन्दर सिंह, निवासी ग्राम भगानी, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
2. प्रेम पुत्र श्री बेली राम, निवासी, ग्राम भगानी, तहसील, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ..प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम :

1 श्रीमती मालती बेवा श्री इन्दर सिंह, निवासी ग्राम भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

2. प्रेम पुत्र श्री बेली राम, निवासी ग्राम भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

अपील बरखिलाफ हुक्म इन्तकाल नम्बर 1923 तिथि 21-3-86 इजलासी श्रीमान असिस्टेंट कुलैक्टर दर्जा दोयम, पांवटा साहिब।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 व 2 श्रीमती मालती बेवा श्री इन्दर सिंह व प्रेम पुत्र बेली राम, निवासीगण ग्राम भगानी, तहसील पांवटा को दिए गए पते पर कई बार समन जारी किए गए परन्तु प्रतिवादी नं0 1 व 2 पर समन की तामील नहीं हो सकी जिससे अदालत को पूर्ण यकीन हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादी पर साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती। अतः प्रतिवादी नं0 1 व 2 को बजरिये इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 द्वारा सूचित किया जाता है कि आप तारीख पेशी 4-1-88 को बवक्त 10 बजे दिन असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आवें। अदम हाजरी की सूरत में आपके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30-1-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राम स्वरूप गुप्ता,
कुलैक्टर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

बकार्यालय विश्वनाथ गुप्ता, सब-रजिस्ट्रार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

हरनाम सिंह

बनाम

आम जनता

उनवान.—प्रार्थना-पत्र बराये पंजीकृत किए जाने वसीयतनामा मुतवफी श्री दलीप सिंह, वासी भुल्डब्वर गैन्हा, तप्पा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर।

जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908

नोटिस बनाम :—आम जनता

उपर्युक्त उनवान बाला में इस कार्यालय में श्री हरनाम सिंह पुत्र नथू राम, वासी भुल्डब्वर गैन्हा, तप्पा मैहलता ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उपर्युक्त मुतवफी श्री दलीप सिंह ने वसीयतनामा अपने दो लड़कों व पत्नी के नाम दिनांक 15-9-1987 को तहरीर करवाया था उसे पंजीकृत किया जावे। इसलिए इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस वसीयत के पंजीकृत होने में कोई एतराज हो तो वह कार्यालय हुजा में असालतन या वकालतन दिनांक 11-1-1988 को प्रातः 10 बजे हाजिर आवे अन्यथा वसीयतनामा हुजा पंजीकृत कर दी जायेगी।

आज दिनांक 27-11-1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

विश्वनाथ, गुप्ता,
सब-रजिस्ट्रार भोरंज, जिला हमीरपुर।

ब अदालत श्री आई0 डी0 सोनी, तहसीलदार बअख्तयार सहायक कुलैक्टर प्रथम वर्ग, बंगाणा, जिला ऊना

केस नं0 21/87

(1) उधो राम उर्फ उधम राम, (2) रतन चन्द पुत्र, (3) शीला देवी पुत्री मूला, वासी हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा . . वादी।

बनाम

(1) मेहर चन्द, (2) खुशी राम, (3) साधु राम पिसरान मूला, (4) विद्या देवी पुत्री लच्छमण, वासी हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा . . . . प्रतिवादी।

दावा तकसीम भूमि निस्बत खाता नं0 12, खतौनी नं0 14, नम्बरान खसरा किता 11 तादादी कनाल 5-16 मरले वाक्या टीका हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रतिवादीगण मुन्दरजा क्रमांक 2 ता 4 को कई बार इस न्यायालय से समनात जारी किए गए लेकिन बिला तामील वापिस प्राप्त हुए। रिपोर्ट है कि यह प्रतिवादीगण कहीं बाहर रहते हैं जिनके सही एड्रैस का कोई पता न है। अब अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इन पर साधारण तरीका से तामील समन होना कठिन है। अतः प्रतिवादीगण 2 ता 4 को इश्तहार हुजा द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-1-88 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही यक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-12-87 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आई0 डी0 सोनी,
सहायक कुलैक्टर प्रथम वर्ग, बंगाणा, जिला ऊना।

ब अदालत श्री आई0 डी0 सोनी, तहसीलदार व अख्तयार सहायक कुलैक्टर प्रथम वर्ग, बंगाणा, जिला ऊना

केस नं0 23/87

(1) उधो राम उर्फ उधम राम, (2) रतन चन्द पुत्र (3) शीला देवी पुत्री मूला, वासी हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा . . वादी।

बनाम

(1) मेहर चन्द, (2) खुशी राम, (3) साधु राम पिसरान मूला, वासी हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा . . प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम भूमि निस्बत खाता नं0 9, खतौनी नं0 11, खसरा नं0 448, 449, 462 वाक्या टीका हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रतिवादीगण 2 व 3 को इस न्यायालय से कई बार समनात जारी किए गए लेकिन तामील समनात न हो सकी। रिपोर्ट तामील कर्ता से पाया जाता है कि यह प्रतिवादीगण बाहर ही रिहाईश रखते हैं जिन के सही ऐड्रैस का पता न है। अब अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इन प्रतिवादीगण पर तामील समन साधारण तरीका से होना अति कठिन है। अतः इश्तहार हुजा द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-1-88 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही यक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-12-87 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आई0 डी0 सोनी,
सहायक कुलैक्टर प्रथम वर्ग, बंगाणा,
जिला ऊना।

बअदालत श्री आई0 डी0 सोनी, तहसीलदार बअख्तयार सहायक कुलैक्टर प्रथम वर्ग, बंगाणा, जिला ऊना

केस नं0 22/87

(1) उधो राम उर्फ उधम राम, (2) रतन चन्द पुत्र, (3) शीला देवी पुत्री मूला, वासी हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा . . वादी।

बनाम

(1) मेहर चन्द, (2) खुशी राम, (3) पाघु राम पिसरान मुला, वासी हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा . . प्रतिवादी।

दावा तकसीम भूमि निस्बत खाता नं० 8, खतौनी नम्बर 12, नम्बरान खसरा किता 15, तादादी 35 कनाल 8 मरले वाक्या टीका हारसा जन्दोड़ा, तहसील बंगाणा।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रतिवादीगण मुन्दर्जा क्रमांक 2 व 3 को कई बार इस न्यायालय से समनात जारी किए गए लेकिन बदम तामील प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण 2 व 3 बाहर रहते तस्दीक हुए हैं जिनका सही पता मालूम न है। अब अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इन पर साधारण तरीका से तामील मुमकिन होना कठिन है। अतः इश्तहार हजा द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 16-1-88 को प्रातः 10 बजे हमारे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-12-87 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आई० डी० सांगो,
सहायक कुलैक्टर प्रथम वर्ग,
बंगाणा, जिला ऊना।

बअदालत श्री डी० एस० नेगी, उप-पंजीपाल, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा :

श्री पदम सिंह पुत्र कानिया, निवासी ग्राम चौथ, परगना पुन्दर, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . फरीक अव्वल।

बनाम

साधारण जनता . . फरीक दोयम।

नोटिस बनाम: आम जनता

जेर धारा 40/41 भा० प० अधिनियम।

उपरोक्त विषय में श्री पदम सिंह पुत्र कानिया, निवासी चौथ, तहसील चौपाल ने एक बिना पंजीकृत वसीयत नामा बराये पंजीकृत करने हेतु मेरे न्यायालय में पेश किया है जो उसके हक में मृतक श्री वृद्धि सिंह पुत्र साध, ग्राम चौथ ने उसकी अपनी अराजी खाता (खतौनी) खसरा नम्बर 89/138, किते 5, रकबा तादादी 7-15 बीघा वाक्या चक मकड़ोग व अन्य मनकुला व गैर मनकुला अराजी जो चक मकड़ोग में हो बकात पाने से पहले बहक स्वाहान लिख कर दिया था। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस वसीयत नामा को पंजीकृत करने में कोई भी किसी किस्म का उजर व एतराज हो तो वह मेरे न्यायालय मुकाम चौपाल में दिनांक 5-1-1988 को सुबह 10 बजे आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा यह वसीयत नामा आयल पदम सिंह के नाम हस्ब जाब्ता पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 3-12-1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी० एस० नेगी,
उप-पंजीपाल, चौपाल,
जिला शिमला।

न्यायालय श्री भगवान दास बालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर

मुकद्दमा नम्बर 331/तह० 84

49/एल० टी० 85

विषय.—दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 112, खतौनी नम्बर 211, खसरा नम्बर 851, रकबा 0-30-42 वाक्या टीका व मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर।

तुलसी राम पुत्र किरपा राम, निवासी गांव काथल, डाकघर जसूर, तहसील नूरपुर।

बनाम

1. बलबीर सिंह, 2. श्री केवल सिंह, 3. करनैल सिंह पिसरान धनू, निवासी टीका व मौजा काथल, तहसील नूरपुर, वगैरा . . मसूल अलैह।

नोटिस बनाम :

बलबीर सिंह, 2. केवल सिंह, 3 करनैल सिंह पिसरान धनू, निवासी टीका व मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, 4. कर्म चन्द पुत्र ताक, 5 भूरी सिंह पुत्र ताक, निवासी टीका काथल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, 6. हरबन्स सिंह पुत्र गोरी, 7 जोगिन्दर सिंह सुपुत्र ताक, निवासी टीका काथल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, 8. साहिब सिंह सुपुत्र धर्म सिंह, निवासी टीका काथल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर . . . मसूल अलैह।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किए जाने पर भी उपरोक्त व्यक्तियों में कोई हाजर नहीं आया है। और तामील भी नहीं हो रही है इस लिए बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहते हों तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 29-12-87 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर होकर उजर कर सकते हैं। अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर,

न्यायालय श्री भगवान दास बालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर

मुकद्दमा नम्बर 313/तह० 85

135/एल० टी० 85

विषय.—दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 108, खतौनी नम्बर 204, खसरा नम्बर 795 रकबा बकदर 0-30-48 है० मी० वाक्या टीका व मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर।

1 श्री तुलसी राम, 2. श्री पूरो सुपुत्री, 3. मेलो सुपुत्री, 4. परोहणी देवी बेवा किरपा राम, निवासी गांव, टीका काथल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर।

बनाम

ताक सुपुत्र दितू वगैरा . . . मसूल अलैह

नोटिस बनाम :

1 ताक, 2. धर्म सिंह पुत्र दितू, निवासी टीका काथल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, 3 दुर्गी देवी पत्नी कमान सिंह, निवासी डोहड़ा मलून, डाकघर जसूर, 4. मन्जा देवी पत्नी शकर दास, निवासी गांव बहोई, डाकघर डडवा, तहसील ज्वाली, 5. सोनी देवी पत्नी नत्थू राम, निवासी गांव व डाकघर पेड़ा, तहसील नूरपुर, 6 नक्को देवी पत्नी जस्सा राम, गांव व डाकघर सूरजपुर भाडवां, तहसील नूरपुर, 7. ज्ञान चन्द सुपुत्र बीमो राम, निवासी टीका बासा लोकवा, डाकघर गंगथ, तहसील नूरपुर, 8 महांगू सुपुत्र चगड़ राम, 9 छैला देवी उर्फ सानों पत्नी पूरो राम, गांव छतवाल, डाकघर जडवाल, 10. भूरो देवी उर्फ बुहड़ो देवी, निवासी काथल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर . . . . मसूल अलैह।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किये जाने पर भी उपरोक्त व्यक्तियों में कोई हाजर नहीं आये हैं और तामील भी आसान तरीका से नहीं हो रही है। इस लिए बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों

को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहता हो तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 29-12-87 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर हो कर उजर कर सकते हैं। अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर

मुकद्दमा नम्बर 332/तह0 83
136/एन0टी0 83

विषय.—दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 109 खतौनी नम्बर 205, 206, 207, 208 खसरा नम्बर 537 मिन, 557, मिन 537 मिन, 601, 537 मिन, 537 मिन, किता 6 रकबा तादादी 1-50-89 वाक्या टीका व मौजा सतराहड़ तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

1. श्री तुलसी राम सुपुत्र, 2. श्री पूरो सुपुत्री, 3. मेलो, 4. परोहणो बेवा किरपा राम, निवासीगण टीका कायल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ..सायल।

बनाम

लाल वगैरा ..मसुलअलेहम।

नोटिस बनाम

1. श्री लाल सुपुत्र, 2. धर्म सिंह सुपुत्र बिशु बाकनान टीका कायल, मौजा सतराहड़, 3. दुर्गी देवी पत्नी कमाल सिंह, निवासी ठोहका, जमून, डाकघर जमूर, 4. मन्सा देवी पत्नी शंकर दास, निवासी बडोई, डाकघर बडवा, तहसील पठानकोट, 5. भोली देवी पत्नी नत्थु राम, निवासी गांव व डाकघर पैठा, तहसील नूरपुर, 6. लच्छो देवी पत्नी जल्ला राम, गांव व डाकघर सूरजपुर मोहटली, तहसील नूरपुर, 7. ज्ञान चन्द सुपुत्र मंगती राम, निवासी बासा नोकवा, डाकघर गंगथ, तहसील नूरपुर, 8. महानू पुत्र बाबू राम, निवासी गांव सूरजपुर, डाकघर सूरजपुर मोहटली, तहसील नूरपुर, 9. सैलो देवी उर्फ सोनो पत्नी गोरो राम, गांव छतवाल, 10. भूरी देवी उर्फ बुहडी देवी, निवासी कायल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर मसुलअलेहम।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बार बार नोटिस किए जाने पर भी उपरोक्त व्यक्तियों में कोई हाजर नहीं आये हैं और तामील भी नहीं हो रही है। इसलिए बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहते हों तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 29-12-87 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर हो कर उजर कर सकते हैं अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नूरपुर।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर

मुकद्दमा नम्बर 330/तह0 84
134/एन0टी0 86

विषय.—दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 113 खतौनी नम्बर 212 खसरा नम्बर 850 किता 1 रकबा 0-65-51 है0 मी0 वाक्या टीका व मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा।

तुलसी राम सुपुत्र किरपा राम, निवासी टीका कायल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर सायल।

बनाम

गगन सिंह वगैरा ..मसुलअलेहम।

नोटिस बनाम

1. श्री गगन सिंह, 2. श्री अनवर सिंह पिसरान गौरी, निवासी टीका कायल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, 3. श्री बलबीर सिंह, 4. केवल सिंह, 5. अजीत सिंह पिसरान मनु, निवासी टीका कायल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, 6. लाल राम पुत्र बिल राम, निवासी टीका कायल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, 7. कर्म चन्द, 8. भूरी सिंह, 9. जोगिन्द्र सिंह, 10. गंगा देवी पत्नी लाल, 11. मालिक सिंह सुपुत्र धर्म सिंह सभी निवासी कायल, मौजा सतराहड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किए जाने पर भी उपरोक्त व्यक्तियों में कोई हाजर नहीं आया है और तामील भी बागान तरीका से नहीं हो रही है इसलिए बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहते हों तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 29-12-87 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर हो कर उजर कर सकते हैं अन्यथा हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास वालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर।

न्यायालय श्री भगवान दास वालिया, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नूरपुर

मुकद्दमा नम्बर 58/तह0 87
26/एन0 टी0 87

विषय.—दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता नम्बर 113, खतौनी नम्बर 322, खसरा नम्बर 1063, 1064 किता 2 रकबा 0-39-20 है0 मी0 वाक्या टीका भाडय, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा।

1. सोम राज, 2. देव राज सुपुत्र श्री साधी राम पुत्र नीलू राम, निवासी ज्योर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा ..सायल।

बनाम

चमन लाल पुत्र धर्मी चन्द, निवासी भाडय, तहसील नूरपुर
. मसुलअलेहम।

नोटिस बनाम

1. चमन लाल सुपुत्र धर्मी चन्द, निवासी टीका व मौजा ज्योर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त मुकद्दमा बाला में उपरोक्त व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि बार-बार नोटिस किए जाने पर भी उपरोक्त व्यक्ति हाजिर नहीं आया है और तामील भी नहीं हो रही है। इसलिये बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में अगर कोई उजर/कार्यवाही करना चाहता हो तो वे इस सम्बन्ध में दिनांक 30-12-87 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर होवें। अन्यथा जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-11-87 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया ।

मोहर ।

भगवान दास बालिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुरपुर ।

इश्तहार

ब अदालत श्री गणेश दास वैद्य, सब-रजिस्ट्रार (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 14/87

तारीख मरजुआ 17-11-1987

श्री चुन्नी लाल पुत्र बजीरा, मकना नलवाड़, परगना बहादुरपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ... सायल ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 आई0 आर0 ऐक्ट बाबत तसदीक करवाये जाने वसीयतनामा ।

नोटिस बनाम आम जनता

आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्रीमती रेशमू बेवा कपूरा मकना डाबर, परगना बहादुरपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने वसीयत श्री चुन्नी लाल पुत्र बजीरा मकना नलवाड़ के नाम दिनांक 23-10-1986 को तहरीर कराई है । श्रीमती रेशमू बेवा कपूरा दिनांक 5-6-1987 को फौत हो चुकी है । श्री चुन्नी लाल पुत्र बजीरा सायल ने वसीयतनामा को तसदीक कराने के लिए दरख्वास्त गुजारी है जिसकी तारीख पेशी 30-12-1987 है । यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वसीयतनामा तस्दीक करने में कोई उजर हो तो वह दिनांक 30-12-1987 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर प्रातः 10 बजे अपना उजर पेश कर सकता है वरना उसके बाद कोई उजर समायत न होगा ।

आज दिनांक 5-12-1987 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

जी0 डी0 वैद्य,
सब-रजिस्ट्रार सदर,
जिला बिलासपुर ।

ब अदालत श्री जी0 डी0 वैद्य, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर 13/9 तक

श्री जगदीश पुत्र श्री अनन्त राम, मौजा कन्दरौर, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

(1) श्री नरोत्तम सिंह पुत्र किरपा, (2) श्री निक्का राम पुत्र गंगा, (3) श्री गुरु राम पुत्र मेघा, (4) श्री पेमु पुत्र नुराता पुत्र गणेशा, (5) श्री लेख राम पुत्र नुराता पुत्र गणेशा, (6) श्री कृष्ण राम पुत्र नुराता पुत्र गणेशा, निवासी कन्दरौर, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, (7) श्री शिव राम पुत्र मंगू राम, निवासी कोठी (कुनगरहट्टी), तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, (8) श्रीमती टिटली देवी पत्नी श्री अनन्त राम, ग्राम अमरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

दरख्वास्त बराए करार जाने तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 ऐक्ट अराजी तादादी 0-18 बिस्वा नम्बर खेवट 182 खतौनी नम्बर 200 कित्ता खेवट नम्बर 1 खसरा नम्बर 354 माप 0.08 पं0 मौजा कन्दरौर, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में फरीक दोयम लेख राम, शिव राम, श्रीमती टिटली पत्नी अनन्त राम को कई बार अदालत द्वारा से समन जारी किए गए थे लेकिन तामील साधारण तरीका से नहीं हो रही है । अब अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इनकी तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है अतः फरीक दोयम नम्बर 5, 7, 7, 8 को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह बराए पैरवी मुकद्दमा तकसीम असालतन या वकालतन मिति 5-1-1988 को हाजिर हो कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 27-10-1987 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

जी0 डी0 वैद्य,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर,
जिला बिलासपुर ।

In the Court of Shri R. L. Azad, Sub-Judge, 1st Class, Arki, District Solan, H.P.

In relation to:

Shri Keshav Ram, son of Puria, r/o Village Kolka (Shanglol), Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H.P. and others ... Plaintiffs.

Versus

Shri Bihari son of Dhani Ram, r/o Village Kolka, Pargana Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H.P. and others ... Defendants.

SUIT FOR DECLARATION

To

1. Shri Bihari son of Dhani Ram.
2. Balia, 3. Sadhu both sons of Shiboo.
4. Ram Charan, 5. Ram Singh, 6. Dhanpat all sons of Khyaloo.
7. Chet Ram, 8. Dhanu, 9. Dhana Lal, 10. Lekh Ram sons and 11. Smt. Mathru, 12. Smt. Jamna, 13. Smt. Battu all daughters and 14. Smt. Ajudhya wd/o Shaunu.
15. Laturia son of Gyaru.
16. Durga son of Laturia.
17. Smt. Shanti, 18. Smt. Janki, 19. Smt. Hira, 20. Smt. Hiru all daughters of Surjoo.
21. Dila Ram, 22. Baloo sons and 23. Khindo daughter of Kiloo.
24. Gulaba son of Kaniya.
25. Miru daughter of Kaniya.
26. Laloo son of Faqiru.
27. Durga son of Fauzu.
28. Nandu son of Masadi.
29. Bishan Dutt, 30. Prem Lal, 31. Jagdish Kumar sons and 32. Dropti daughter and 33. Smt. Kailashi wd/o Shri Labh Chand.
34. Dharam Singh s/o Phulmu.
35. Moti and 36. Chandu both sons of Narainu.
37. Sudama Ram, 38. Mast Ram, 39. Paras Ram sons and 40. Jamna and 41. Narbada daughters of Bardu.
42. Ram Singh son of Narayanu.
43. Ganesh, 44. Ram Singh, 45. Sadhu all sons of Sudagar.
46. Daulat Ram son of Hazaru.
47. Prem Singh, 48. Narayan Singh, 49. Ram Singh, 50. Amar Singh, 51. Dhana Lal sons and 51. Kaushalya daughter and 52. Smt. Mansu wd/o Shri Devi Ram.
53. Shri Devi Chand, 54. Shri Khajana son of Gokul.
55. Bhola *alias* Chet Ram son of Jhola.
56. Lekh Ram son of Devi Saran.
57. Gulaba son of Gurumukh.
58. Lekh Ram son of Gulaba.
59. Kansu son of Nagina.
60. Kanshi Ram, 61. Govind Ram sons and 62. Kamla daughter, 63. Smt. Dwarkoo wd/o Shri Bhagat Ram, 64. Thakuria son of Alamu.
65. Hiru, 66. Basanta sons of Rama.

68. Dila Ram s/o and 68 Smt. Gaddo daughter of 69. Kalia, 70. Gokul sons and 71. Krishaniidaughter and 72. Smt. Ganpattu daughter of Bardu,
73. Shri Mathra son and 74. Smt Sarswati daughter, 75. Smt. Dilaroo wd/o Shri Fauzoo *alias* Surjoo, 76. Dhani Ram son of Bardu.
77. Khem Chand, 78. Chet Ram sons of Nikku.
78. Parma Nand, 79. Diloo sons of Narpat.
80. Dropatti daughter of Mohan.
81. Govind son of Kana.
82. Durga, 83. Balak Ram, 84. Jamnu sons and 85. Shankaru daughter of Gauria.
86. Shiv Ram son of Masadi.
87. Shyam Lal son. 88. Ram Dai, 89. Jai Dei. 90. Leela 91. Dhanwanti daughters and 92. Smt. Kalawati wd/o Tulsia all defendents, 92. numbers are resident of Village Kolka, Tehsil Arki, District Solan, H.P.

Whereas in the above-noted case it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted defendents cannot be served in the normal course of service. Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. is issued against the above-noted defendents to appear before this court on dated 28-12-1987 at 10 A.M. through a pleader or an authorised agent failing which the *ex parte* proceeding will be taken against them.

Given under my hand and seal of the court this 5th day of December. 1987

R. L. AZAD.
Seal. *Sub-Judge 1st Class, Arki. District Solan, H. P.*

HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION, NEW HIMRUS BUILDING, CIRCULAR ROAD, SHIMLA-171001

NOTICE

Shimla-171001, the 11th December, 1987

No. HPFC/2-139/87-VI.—In pursuance of regulation 24 read with regulation 37 of the General Regulations of the Corporation, it is hereby notified that a Special General Meeting of the share-holders of the Himachal Pradesh Financial Corporation will be held at the Head office of the Corporation (New Himrus Building, Circular Road, Shimla), on Friday the 22nd January, 1988 at 11.00 A.M. to transact the following business:—

To elect two Directors as follows: —

(1) One Director representing Insurance Companies, Investment Trusts and Financial and other institutions in terms of clause (*d*) of section 10 read with sub-section (2) of section 14 of the SFCs Act. 1951, to be elected by the Insurance Companies, Investment Trusts and other financial Institutions excluding Scheduled Banks and Co-operative Banks, who are share-holders of the Corporation in place of Shri R. N. Jhingan, resigned.

(2) One Director representing the Scheduled Banks in terms of clause (*d*) of section 10 read with section 10-A of the State Financial Corporations Act, 1951, to be elected by the Scheduled Banks who are share holders of the Corporation in place of Shri S. N. Gupta who retired from service.

It is further notified that the share register of the Corporation will remain closed and the registration of transfers suspended from 21st December, 1987 to 21st January, 1988 (both days inclusive).

NOTES

(1) The list of share-holders shall be available for purchase at the Head Office of the Corporation at a price of Re. 1/- (Rupee one only) per copy from 1st January, 1988.
(2) The last date for the receipt of nominations for the election of directors shall be the 6th January, 1988.
(3) The last date for the deposit of proxies shall be the 14th January, 1988.
(4) The last date for the deposit of certified copies of the resolutions appointing duly authorised representatives by the companies shall be the 16th January, 1988.
(5) The last date for receipt of State Government's order appointing any of its officers as its representative shall be the 22nd January, 1988 before the time fixed for meeting.

Sd/-
Secretary.

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala

Succession application No. 36/1987

Date of Hearing: 18-2-1988

Smt. Parvati Devi widow of late Shri Prem Singh, resident of Village Danin, P.O. Chobin, Tehsil Baijnath, District Kangra ..Petitioner.

Versus

The general public

2. Shri Rajinder Singh s/o late Shri Prem Singh, r/o Village Danin, P.O. Chobin, Tehsil Baijnath, District Kangra *Respondent.*

To

The general public.

Whereas in the above-noted case the above-named applicant have filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of assets of Late Shri Prem Singh son of Shri Baisakhi Ram, r/o Village Danin, P. O. Chobin, Tehsil Baijnath, District Kangra who died on 6-12-1982 at Village Danin.

Hence this proclamation is hereby issued to the above named respondent of the illaqua and the kith and kins of the deceased to file objection if any, to the grant of such Succession Certificate in this court on 18-2-1988 at 10 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex-parte*.

Given under my hand and the seal of the court on this 5th day of December, 1987.

J. N. BAROWALIA.
Seal. *Senior Sub-Judge, Kangra at Dharamshala.*

In the Court of Shri R. L. Azad, Sub-Judge 1st Class, Arki, District Solan, H. P.

In relation to:—

Shri Ginu Ram s/o Shri Narayanu, r/o Village (Raudi), Darla. Pargana Parghot. Tehsil Arki, District Solan, H. P. ..Plaintiff.

Versus

General public Defendent.

To

The general public.

Whereas in the above-noted case it has been proved to the satisfaction of this court that the above-noted defendent (general public) can not be served in the normal course of service hence this proclamation under Order 5, rule 20, C.P.C. is issued against the above-noted defendent (general public) to file their objections before this court on dated 4-1-1988 at 10 A. M. through a pleader or an authorised agent failing which the case will be proceeded against e *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court this 7th day of December. 1987.

R. L. AZAD.
Seal. *Sub-Judge 1st Class, Arki, District Solan. H.P.*

In the Court of Shri J. S. Mahantan, Sub-Judge, 1st Class, Sundernagar, Himachal Pradesh

In the matter of:—

S.B.I. Slapper *V/s.* Shankar Lal etc.

Civil Suit No. 28/1987

Notice to.—

Shri Balwant Singh s/o Shri Mohi Ram, resident of

Village & P.O. Jarol, Tehsil Sundernagar, Himachal Pradesh .. *Defendant.*

Whereas in the above-noted civil suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the service of the above-named defendant cannot be affected in the ordinary course of service. Hence this proclamation is hereby issued against him to appear before this court on 28-12-87 at 10 A.M. personally or through an authorised pleader to defend the case, failing which *exparte* proceedings shall be taken against him.

Given under my hand and seal of this court today 20th November, 1987.

Seal. J. S. MAHANTAN,
Sub-Judge 1st Class, Sundernagar.

In the Court of Shri A. K. Sharma, Sub-Judge, Court No. II, Una, District Una, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 382/1983

Hari Kishan, 2. Joginder Paul ss/o Amru, 3. Ram Rakhi wd/o Amru, 4. Urmila Devi wd/o Sohan Lal son of Amru, 5. Neelam Kumari aged 8 yrs., 6. Parmala Devi aged 6 yrs., 7. Rajni aged 3 yrs. minor daughters of Sohan Lal, minors through Urmila Devi wd/o Sohan Lal, mother and next friend of minors, Caste Lohar, residents of Village Dehlan, Una.

Versus

Telu Ram Ravinder Kumar s/o Des Raj, 2. Banti Devi wd/o Des Raj, 3. Leela Devi, 4. Shakuntalan Devi, 5. Subhadara Devi daugthers of Des Raj, Caste Brahmin, residents of Village Dehlan, District Una, Himachal Pradesh.

Suit for permanent injunction

Whereas in the above-noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the defendants/Lrs. named above cannot be served in ordinary way. You are hereby directed by this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. to appear in this court on 30-12-1987 at 10 A.M. the next date of hearing in this case personally or through your counsel and conduct the same failing which an *ex parte* proceeding shall be taken against you.

Given under my hand and the seal of this court this 9th day of December, 1987.

Seal. A. K. SHARMA,
Sub-Judge (II), Una.

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।